महिला शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा में बालिका नामांकन, लिंगानुपात, अभिभावक दृष्टिकोण तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शिक्षा शास्त्र विषय में

पी–एच०डी०

उपाधि हेतु

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

को प्रस्तुत

शोध प्रारूप

UGC Approved
Section 2f & 12B

शोध पर्यवेक्षक:

डा. संजीव कुमार
आचार्य, कॉलिज ऑफ एजूकेशन,
आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय मेरठ (उ.प्र.)

शोधार्थी

मोहित कुमार
नामांकन संख्या:
IIMTU/2171366

वर्ष: 2022

—: शोध केन्द्र :—
कॉलिज ऑफ एजूकेशन,
आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

1. प्रस्तावना

किसी संस्कृति को यदि समझना है तो सबसे सरल तरीका है कि हम उस संस्कृति में नारी की स्थिति को समझने का प्रयास करें। स्त्रियाँ समाज के सांस्कृतिक चेहरे का दपर्ण होती हैं। यदि किसी देश में स्त्रियों का जीवन उन्मुक्त हो तो उस देश का समाज भी निश्चित रूप से एक उन्मुक्त समाज है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरूषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान युग में यह सर्वविदित तथ्य है कि स्त्री को भी पुरूष के समान शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिये। यह सत्य है कि यदि माताएँ शिक्षित होगी तो देश की उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी। भारत में महिलाओं कि स्थिति ने विगत शताब्दियों में बड़े परिवर्तन का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ समानता की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही समाज सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास बहुत ही गतिशील रहा है।

विद्वानों का ऐसा मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समानता का दर्जा प्राप्त था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक ऋचाऐं यह बताती हैं कि बालिकाओं का विवाह एक परिपक्व आयु में होता था और सम्भवत उन्हे अपना जीवन–साथी का चयन करने की स्वतंत्रता थी। अध्ययनों के अनुसार प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों को समानता का दर्जा और अधिकार मिलता था, लेकिन 500 ई0पू0 स्मृतियों (विशेषकर मनु स्मृति) के साथ स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। बाबर व मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण ने स्त्रियों की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान अधिक

गिरावट आयी। जब भारत के कुछ समुदायों में सती–प्रथा, बाल–विवाह और विधवा–पुर्नविवाह पर रोक सामाजिक जिन्दगी का एक हिस्सा बन गयी। भारतीय उपमहाद्वीप मुस्लिमों की जीत ने पर्दा– प्रथा को भारतीय समाज में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था।

अंग्रेजी शासन के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द विद्यासागर, ज्योतिबाफुले आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाईयां लड़ी। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दौरान राष्ट्रीय महिला साक्षरता 8.60 प्रतिशत से कम थी। महिलाओं को जिन्हे स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति थी अब घरो तक ही सीमित रह गयी थी। जिससे पुरूष प्रधान पितृ–सत्तामक समाज का स्वरूप विकसित हुआ। स्वतन्त्रता पश्चात् शिक्षा में सुधार के लिये अनेक आयोगो का गठन भारत सरकार द्वारा किये गये, जिन्होंने महिला शिक्षा में सुधार के लिये अनेक सुझाव दिये जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) ने उच्च शिक्षा स्तर पर महिलाओ की शिक्षा में सुधार के लिये डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रमुख सिफ़ारिशें कीं–

1. महिलाओ को सामान्य अनुशासन की सभी सुविधाये और उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये।
2. माध्यमिक स्तर पर कोई सह–शिक्षा नही है, लेकिन बुनियादी स्कूलो एवं विश्वविद्यालय में सह–शिक्षा का संचालन किया जा सकता है।

महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति (1958–59) ने महिलाओं की शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था का सर्वेक्षण अपनी समस्याओं के साथ करने और महिला शिक्षा में सुधार के लिये कुछ सुझाव देने के लिये दुर्गाभाई देशमुख की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया।

<u>महिला शिक्षा परिषद (1962)</u> को लड़कों व लड़कियों के बीच पाठयक्रम के अन्तर को देखने के लिये हंस मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया।

<u>भक्तवत्सलम समिति (1963)</u> को महिलाओं की शिक्षा की समस्याओ का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया गया। समिति की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार थीं—

1. सह—शिक्षा प्राथमिक स्तर पर लोकप्रिय होनी चाहिये।
2. महिलाओं के लिये ग्रामीण क्षेत्रो में सामाजिक शिक्षा केन्द्रो की स्थापना होनी चाहिये।
3. शिक्षण संस्थाओ में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण, आकर्षक वेतन का प्रावधान, रहने का स्थान आदि होना चाहिये।

<u>कोठारी आयोग (1964—1966)</u> ने महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के सुझाव को डा0 डी0 कोठारी की अध्यक्षता में स्वीकार किया तथा निम्न प्रमुख सिफ़ारिशें की—

1. प्राथमिकता के आधार पर महिला शिक्षा के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
2. महिलाओं की शिक्षा कि देखभाल के लिये राज्य व केन्द्र स्तर पर एक विशेष मशीनरी होनी चाहिये।

<u>शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986)</u> के अनुसार कार्यान्वयन रणनीति की निम्नलिखित मुख्य विशेषतायें शामिल थीं:

महिलाओं के सशक्तीकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाने के

लिये सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को तैयार करना, सभी क्षेत्रो में महिलाओ की स्थिति और महिलाओं के विकास को बढ़ाने के लिये सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिये शैक्षिक संस्थानो को प्रोत्साहित करना सभी स्तरो पर महिलाओ को व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पृष्ठ संख्या 14 पर बिन्दु संख्या 3.2 में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्याहरिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले।

इसी नीति में पृष्ठ संख्या 38 पर बिन्दु 6.2.1 में स्वीकार किया गया है कि यू—डीआईएसई 2016—17 के आंकडों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 प्रतिशत हो गया है। नामांकनों में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत), और दिव्यांग बच्चों (1.1 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत) के शिए अधिक गंभीर हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। जबकि उच्चतर शिक्षा में महिला छात्रों के नामांकन में गिरावट इससे`और भी अधिक है।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाये जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(1), 12 दिसम्बर, 2002 को 86वें संविधान संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद 21(क) में ''शिक्षा के

अधिकार'' को मौलिक अधिकार बना दिया तथा अप्रैल, 2010 को यह अधिनियम पूर्ण रूप से कानूनी बाध्यता के साथ अनिवार्य कर दिया गया। इन कानून के पश्चात् भी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तथा उनकी भूण्र में ही हत्या कर दी जाती हैं। जिस कारण बाल लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है। बाल लिंगानुपात का अर्थ है प्रति एक हजार बालकों पर बालिकाओं की कुल संख्या।

भारत की 2011 की जनगणना के आंकडों के अनुसार 0–6 वर्ष में बाल लिंग अनुपात (सीएस आर) में अत्यन्त गिरावट देखी गयी जो अब तक का सबसे कम लिंगानुपात (918/1000) था। बाल लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण महिलाओं का अशिक्षित होना है। जिसके कारण समाज में उनके साथ भेदभाव की भावना व्याप्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 1951 की 8.6 प्रतिशत के सापेक्ष 64.3 प्रतिशत हो गयी है। यद्यपि महिला साक्षरता दर में यह वृद्धि उत्साहजनक एवं आशाजनक है। दुर्भाग्य से इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि भारत की वर्तमान महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है, जहाँ बालको की तुलना में बालिकायें कम स्कूल जाती है। अतः बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित एवं अभिसारित प्रयासों की आवश्यकता है।

इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा एक महत्वांकाक्षी योजना "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के नाम से अवतरित की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अन्तर्गत बालिकाओं को संरक्षित और शिक्षित करने के लिये 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का प्रारम्भ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से किया गया तथा साथ ही निम्न लिगांनुपात वाले 100 जिलो में भी यह योजना

प्रारम्भ की गई। इस योजना के मुख्य घटकों में सम्मिलित हैं– प्रथम चरण में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम–1994 (PCPNDT एक्ट) को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गये 100 जिलों (जहाँ शिशु लिंग अनुपात कम है) में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य करना।

<u>बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना की रणनीतियाँ–</u>

- बालिका और शिक्षा को बढावा देने के लिये एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिये जागरूकता अभियान चलाना।

- निम्न लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान कर ध्यान देते हुये गहन और एकीकृत कार्यवाही करना।

- इस मुद्दे को सार्वजनिक विचार–विमर्श का विषय बनाना और उसे संशोधित करते रहना, सुशासन का स्तर निर्धारित करना।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा–

देवी0के0 (1983) ने मणिपुर के इम्फाल टाउन में 1963–1976 के मध्य प्राथमिक विद्यालय छोड़ देने की समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होने पाया कि विद्यालय छोड देने में लड़को की तुलना में लड़कियो की संख्या अधिक थी। जिसका महत्वपूर्ण कारण–अभिभावकों की उदासीनता तथा सामाजिक व आर्थिक कारण थे।

मिश्रा, ए0(1992) ने उडीसा में 1947 से 1977 के मध्य बालिकाओ की शिक्षा के गुणात्मक तथा मात्रात्मक प्रसार का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि कटक जिले में सार्वजनिक नामांकन 217,000 था। जबकि फूलबनी जिले में सबसे

कम नामांकन 30,000 था।

एन0सी0ई0आर0टी0 (1992) के पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1978 में चौथे सर्वेक्षण की समाप्ति के पश्चात् 1986 तक प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1986 में सकल नामांकन अनुपात 93.63 प्रतिशत था। लड़कियो के सकल नामांकन अनुपात में चौथे सर्वेक्षण व पांचवे सर्वेक्षण के मध्य केवल 4.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह कुल सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि के आधे से भी कम है। यह लड़कियो के नामांकन में न्यून उन्नति का स्पष्ट प्रमाण है।

सीमा टी0एन0एच0 एवं अन्य (2000) ने अध्ययन में पता लगाया कि महिला सशक्तीकरण की योजना में पूर्व की तुलना में नई नीतियां अधिक प्रभावी हैं तथा उनके क्रियान्वन में भी सक्रियता पायी गयी है।

आनन्द, सरोज (2003) ने ''शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण'' नामक शीर्षक पर अपना पी0एच0डी0 स्तरीय शोध–कार्य किया। इनके निष्कर्ष इस प्रकार रहे– हमारे राष्ट्रीय उद्वेश्य में विकास की धारा को प्रभावित करने में आवश्यकता है– महिलाओं को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने की क्योंकि महिलाऐ जैसे–गृहणी, या एवं परिवार का भरण–पोषण करने वाली अनेक भूमिकाऐं निभाती है। इस हेतु तीन दृष्टिकोण से महिलाओं में सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखना होगा। समाज में लिंग भेद की समस्या को जड से नष्ट करने के लिए वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय विकास हेतु कई करोड़ महिलाओ की स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है। तभी राष्ट्रीय विकास हो सकेगा।

पाठक, वीरेन्द्र (2006) ने समाज कल्याण पत्रिका के अगस्त, 2006 के अंक में ''बालिका शिक्षा का महत्व'' के लेख में प्रस्तुत किया कि जीवीकोपार्जन की योग्यता

पैदा कर शिक्षा स्त्रियों का समाज में स्थान ऊँचा करती है और परिवार व समुदाय में निर्णय का अधिकार दिलाती है।

तलवार, शबाना (2007) ने ''शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में लैगिक भेदभाव का अध्ययन'' शीर्षक पर अपना शोध कार्य किया। इन्होने अपने निष्कर्ष में पाया कि नई उभरती हुई नौकरियो के लिए उच्च पेशेवर शिक्षा जरूरी है लेकिन महिलाओ को उच्च शिक्षा में पुरूषो के बराबर अवसर नही मिल रहा है। शहरी क्षेत्रो व उच्च आय वले समूहों की तुलना में कम आय वाले लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रो की स्थिति खराब है।

कौर देवेन्द्र (2016) शोधकर्ती का उद्वेश्य ''बीकानेर जिले में बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इन्हांने अपने अध्ययन में पाया कि आर्थिक, सामाजिक, सामान्य जागरूकता, व्यक्तिगत, शैक्षिक, पारिवारिक तथा अनेक कारक बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करते है।

अध्ययन की आवश्यकता—

किसी भी समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के अभाव में सम्पूर्ण विकास की अवधारणा निरर्थक है। सभी विकासशील देश महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोडने हेतु प्रयत्नशील है। भारतवर्ष में भी महिलाओ के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरूआत की गयी है। समाज के समुचित और सर्वांगीण विकास में महिलाओ का योगदान कभी भी कम नही रहा है, परन्तु यह एक विडम्बना ही है कि समाज में उन्हे बराबरी का दर्जा शायद ही कभी प्राप्त हुआ है। इस बारे में डॉ0 अम्बेडकर ने लिखा है कि 'भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किन्तु आंसुओ की चिंता करते हुए वह असहज व्यवहार, अपमान, शोषण से अवश्य डरती है। शिक्षा ही इस विडम्बना को समाप्त करने का स्त्रोत है जो जीवन के

विभिन्न पहलुओ को समाप्त करती है। शिक्षा बालिका के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु आज भी देश की 36 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर है, जिसका प्रभाव देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। वैश्वीकरण की अवधारणा में हम देखते है कि विकसित देशो में महिलाओं की स्थिति हमारे देश से कही बेहतर है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो। अत महिला विकास के लिए हमें बालिकाओं को बचाने तथा उनके शैक्षिक विकास को प्राथमिकता देनी होगी।

मेरठ मण्डल की औसत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 72.84 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 80.74 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 63.98 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओ की साक्षरता दर पुरूषो के मुकाबले 16.76 प्रतिशत कम पाई गयी है। बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बावजूद यहाँ साक्षरता दर में महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरठ मण्डल का लिंगानुपात 886 पाया है। भारत को बाल लिंग अनुपात में 195 देशों में से 41वां स्थान दिया है, अर्थात भारत लिंग अनुपात में 40 देशो से पीछे है भारत सरकार की ओर से चलायी जा रही एक महत्वपूर्ण योजना– 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, तथा शिक्षा के साथ–साथ बालिकाओं को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना एवं उनकी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य योजनाओ को भी चलाया जा रहा है जैसे कि 'सुकन्या मंगला योजना,' 'बालिका समृद्धि योजना,'

'लाडली लक्ष्मी योजना,' आदि। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की सफलता के लिये योजना के प्रति अभिभावकों का जागरूक होना अति आवश्यक है।

अतः मेरठ मण्डल में बालिकाओं की सुरक्षा व बालिका शिक्षा के विकास में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' योजना का योगदान ज्ञात करने हेतु योजना का गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अतः शोधार्थी ने इसे अपने शोध का विषय बनाया है। शोधार्थी द्वारा किया गया यह शोधकार्य बालिकाओं को शिक्षा तथा बालिकाओ को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए न केवल महत्वपूर्ण सिद्ध होगा वरन् आगे आने वाले शोधार्थियों के लिये भी लाभप्रद होगा।

समस्या कथन–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु चयनित शोध समस्या को निम्न प्रकार से उल्लिखित किया गया है–

महिला शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा में बालिका नामांकन, लिंगानुपात, अभिभावक दृष्टिकोण तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

अध्ययन के उदेद्श्य–

1. भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का अध्ययन करना।
2. मेरठ मण्डल के सन्दर्भ में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का अध्ययन करना।
3. मेरठ मण्डल के सन्दर्भ में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना में बाल लिंग

अनुपात का अध्ययन करना।

4. मेरठ मण्डल के सन्दर्भ में बाल लिंग अनुपात सुधार के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत सरकार द्वारा किए गए प्रयासो का अध्ययन करना।

5. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना से पहले तथा बाद के वर्षो में बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन का अध्ययन करना।

6. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर पढने वाली छात्राओं के अभिभावकों (माता अथवा पिता) की योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

7. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के सन्दर्भ में अभिभावकों की योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

परिसीमन–

अध्ययन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों तक सीमित रखा जायेगा।

शोध प्रारूप–

प्रस्तुत शोध कार्य में एकल समूह शोध प्रारूप का प्रयोग किया जायेगा।

शोध विधि–

अनुसंधान कार्य में शोध समस्या का एक उत्तम और वैज्ञानिक उत्तर ज्ञात करने हेतु आंकड़े संकलित करने के लिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अतः प्रस्तुत शोध–कार्य के शीर्षक व उद्देश्यों के दृष्टिकोण से शोध विवरणात्मक प्रकृति का है। अतः दत्त संकलन हेतु सर्वेक्षण आधारित वर्णात्मक विधि

का प्रयोग किया जायेगा।

शोध में प्रयुक्त उपकरण–

प्रस्तुत शोध–कार्य में शोध के उदेद्श्यो को ध्यान में रखकर निम्नलिखित शोध उपकरणों का उपयोग किया जायेगा–

(i) उदेद्श्य 1 से 5 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे–सरकारी रिर्पोट्स, दस्तावेजों, योजना से सम्बन्धित निर्देशों का अध्ययन किया जायेगा।

(ii) उदेद्श्य 6 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के प्रति अभिभावकों की जागरूकता के अध्ययन हेतु स्व–निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया जायेगा।

(iii) उदेद्श्य 7 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति के अध्ययन हेतु स्व–निर्मित अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया जायेगा।

जनसंख्या

अनुसंधान कार्य में मेरठ मण्डल में प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावक (माता अथवा पिता) तथा शिक्षक जनसंख्या के रूप में सम्मिलित होगें।

शोध का न्यादर्श व चयन विधि–

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा अभिभावको (माता अथवा पिता) की जागरूकता के अध्ययन के लिए मेरठ मण्डल के सभी छः जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक के दो प्राथमिक विद्यालयों को चयनित कर विद्यालयों मे से 400 शिक्षकों का तथा 400 अभिभावकों कुल 800 न्यादर्शों का

यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि द्वारा चयन शोधार्थी द्वारा किया जायेगा।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ–

प्रस्तुत शोध कार्य में उदेद्श्यों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिये उपयुक्त संख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा।

संदर्भ सारणी–

- अग्रवाल, डॉ0 वी0पी0–राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष की आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन, मेरठ।
- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ–लेख–गीता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कॉमर्श यूनिवर्सल कॉलिज, वोल्यूम टप्प्ए जुलाई 2018– इंडिया जनरल ऑफ रिसर्च।
- सिंह, डॉ0 अमर जीत परिहार–शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, 2014
- शर्मा, आर0ए0–शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, मेरठ, 2011
- भटनागर, डा0 आर0पी0, भटनागर, डा0 ए0बी0, भटनागर, डा0 अनुराग, भटनागर– शिक्षा अनुसंधान।
- Devi, M.D. Usha- Research Perspective for understanding Women's Education-Article Published in Economic and political Weekey vol. 27, No. 24/25 (Jun, 13-20, 1992 PP-1279-1282
- Karan Mrs. Suparna, Women Education in India & its Importance: An Analytical Study, Article Published in International Journal of Humanities & Social Science Studies , Vol. IV, Issue-I, July 2017, PP-278-287
- Article-Women's Education In India, A Regional Dimension, New Delhi- NIEPA 1986